

23.7.19

पत्रावली पेश हुई। वादी स्वयं तथा वकील  
वादी को आवान्द डिल्ली गई। बार-बार  
आवाज लगाते के बावजूद न्यायालय  
जाति नहीं माने पर वादी का वाद  
असम हाजिरी असम पंरवी में खारिज किन्तु  
मान्य है। पत्रावली फंडल शुभाट होम नम्य  
हे कम व वाखिल फतल हो।



उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़